न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/200

1. महावीर पुत्र श्री रामगोपाल उम्र 36 वर्ष जाति बारेठ व्यवसाय काश्तकारी निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. सीताराम पुत्र श्री रामगोपाल जी उम्र 34 वर्ष जाति बारेठ व्यवसाय काश्तकारी निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्रीमती चन्द्र बाई पुत्री श्री रामगोपाल आयु 25 वर्ष जाति बारेठ निवासी ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्रीमती जमना बाई बेवा श्री रामगोपाल जी उम्र 65 वर्ष जाति बारेठ व्यवसाय काश्तकारी निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्री महावीर पुत्र श्री रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी आयु 43 वर्ष निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी श्री जयवीर सिंह कालेर ।
4. राजस्थान सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति हिण्डोली ।
5. श्री श्योजी लाल पुत्र श्री रामगोपाल जाति बारेठ आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 06.02.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन नियम 1968 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी कम 1 रामगोपाल आत्मज नारायण कौम बारेठ के पक्ष में ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 1341/1726/12.15 बीघा भूमि दिनांक 06.10.1966 को आवंटन हुई थी । आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने से आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.12.2015 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 06.10.1966 निरस्त करने का निर्णय पारित कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2015 के विरूद्ध अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता को बहस हेतु कई अवसर प्रदान किये परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता की बहस सुनकर प्रकरण का निस्तारण न्यायहित में गुणावगुण पर किया जा रहा है ।

6. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। क्योंकि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है । आवंटी ने उक्त आवंटन तथ्यों को छुपाकर करवाया है । आवंटी के पास पूर्व से ही भूमि मौजूद है । आवंटी द्वारा उक्त भूमि दिनांक 31.03.2014 को 12 लाख रूपये में बेचान कर दी इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2015 बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एंव प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । अप्रार्थी कम 1 वर्तमान में मृतक रामगोपाल आत्मज नारायण कौम बारेठ के पक्ष में ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 1341/1726/12.15 बीघा भूमि दिनांक 06.10.1966 को आवंटन हुई थी । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की । तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है एवं आवंटी की आवंटित भूमि की किश्त मय ब्जयाज जमा नहीं की है जो राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968 के नियत 17 ए एवं आवंटन शर्तों का उल्लंघन है ।

1. नियम 17 ए के अधीन कार्यवाही एक सिविल सम्पत्ति संबंधी कार्यवाही है और इस प्रकार की कार्यवाही में जा0 दी0 के सभी

ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2015 बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 06.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा